न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-207Jodhpur2022-126 Rawalram ors Vs Bhanwararam etc

01. रावलराम पुत्र स्व. श्री इन्द्राराम
02. घेवरराम पुत्र स्व. श्री इन्द्राराम
03. गोरधनराम पुत्र स्व. श्री इन्द्राराम
04. लिखमाराम पुत्र स्व. श्री इन्द्राराम
05. सुमेराराम पुत्र स्व. श्री इन्द्राराम
06. प्रभूराम पुत्र स्व. श्री इन्द्राराम
07. दीनाराम पुत्र स्व. श्री इन्द्राराम
08. कमला देवी पत्नी स्व. श्री इन्द्राराम
09. सीरे कंवर पुत्री स्व. श्री इन्द्राराम
10. राधा देवी पुत्री स्व. श्री इन्द्राराम
11. बिदामी पुत्री स्व. श्री इन्द्राराम
12. विमला पुत्री स्व. श्री इन्द्राराम

सभी जातियान् दर्जी, निवासीगण- ग्राम ठाडिया, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. भंवराराम पुत्र श्री चेनाराम
2. देवाराम पुत्र श्री चेनाराम

दोनो जातियान् दर्जी, निवासीगण- ठाडिया, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।

3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सेखाला, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 09 मई 2022 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर राजस्व विविध प्रार्थनापत्र संख्या 30/2020 भंवराराम व अन्य बनाम रावलराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री मनोहरलाल पालीवाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री सुरेश जोशी, अधिवक्ता रेस्पो- संख्या एक व दो
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या तीन

नि र्ण य

दिनांक : 30 दिसंबर 2022

अपीलाण्ट ने सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 30/2020 भंवराराम व अन्य बनाम रावलराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 05 मई 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 25 मई 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो ने एक वाद बाबत घोषणा खातेदारी,बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 59 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नं. 60 रकबा 9.09 बीघा, खसरा नं. 76 रकबा 94.04 बीघा ग्राम ठाडिया तहसील सेखाला के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। प्रार्थीगण/रेस्पो संख्या एक व दो ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण/रेस्पो. संख्या एक व दो को सुनकर आदेश दिनांक 12.06.2020 के जरिये प्रार्थना पत्र अंतरिम रूप से स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश पारित किये। तत्पश्चात प्रार्थीगण/रेस्पो. द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया, जिसे स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 09 मई 2022 के जरिये प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट्स को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण की छूट प्रदान कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश पारित करने

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

में घोर कानूनी एवं वाक्याती भूल कारित की गई है। वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी कृषि भूमि है, जिसका विधिवत रूप से बंटवाड़ा नहीं हुआ है। जब वादग्रस्त भूमि पक्षकारान् की संयुक्त खातेदारी की कब्जा काश्त की कृषि भूमि होना स्पष्ट है तथा जिस पर पक्षकारान् संयुक्त रूप से काबिज काश्त है तो ऐसी स्थिति में किसी पक्षकार को विशेष भू-भाग पर बिना बंटवाड़ा करवाये निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती है। रेस्पोडेंट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कही पर भी यह कथन नहीं किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर उनकी ढाणी बनी हुई है, जिसमें निवास करते है। रेस्पोडेंट्स अपीलाधीन आदेश की आड़ में जबरदस्ती कब्जा करके अपीलांट्स को बेदखल करना चाहते है। रेस्पोडेंट्स द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भरे गये आवेदन में विवादग्रस्त भूमि में ही आवास निर्माण के लिए खसरा विशेष का उल्लेख किया गया हो। विचारण न्यायालय द्वारा इस सब तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश के जरिये अविभाजित भूमि में विशेष स्थान पर निर्माण की अनुमति प्रदान कर दी। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09 मई 2022 व 12 जून 2020 को अपास्त किया जावे तथा वादग्रस्त भूमि में मौके की यथास्थिति बनाये रखने एवं निर्माण कार्य नहीं किये जाने हेतु रेस्पोडेंट्स को पाबंद किया जावे

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक व दो के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट गरीब काश्तकार होने से प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत उन्हे आवास स्वीकृत हुआ है। विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट्स को उनकी पुरानी ढाणी के अंदर ही आवास निर्माण की अनुमति प्रदान

राजस्व अप[illegible]कारी
जोधपुर

की है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत आदेश होने से प्रस्तुत अपील खारिज की जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यो एवं परिस्थितियों अनुरूप विधिसम्मत निर्णय किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक रेस्पोडेंट भंवराराम एवं देवाराम का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास हेतु चयन होने से विचारण न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी स्वीकार कर रेस्पोडेंट्स को अपनी पुरानी ढाणी के स्थान पर ही आवास निर्माण की अनुमति प्रदान किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

परिणाम स्वरूप समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09 मई 2022 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30.12.2022

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर